भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 236

उत्तर देने की तारीख 02 फरवरी, 2026

सोमवार, 2026/13 माघ, 1946 (शक)

पीएम-सेतु योजना के उद्देश्य

236. श्री प्रवीण पटेलः
श्री लुम्बाराम चौधरीः
श्री भर्तृहरि महताबः
डॉ. हेमंत विष्णु सवराः
श्री दिलीप शइकीयाः
श्रीमती कमलेश जांगड़ेः
श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्री भोजराज नागः
श्री विजय बघेलः
श्री गोपाल जी ठाकुरः
श्री दिनेशभाई मकवाणाः
श्री जनार्दन मिश्राः
श्री सुरेश कुमार कश्यपः
श्री अनिल फिरोजियाः
श्री अभिमन्यु सेठीः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्टार्टअप और उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास और रोजगार क्षमता में सुधार के लिए उन्नत आईटीआई (पीएम-सेतु) योजना के, विशेषकर प्रारंभिक चरण के उद्यमों और पहली बार बने उद्यमियों के लिए, उद्देश्य और प्रमुख घटक क्या हैं;

(ख) पीएम-सेतु के कार्यान्वयन में संस्थागत प्रणालियों, हितधारक भागीदारी (ऑनबोर्डिंग) और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समन्वय के संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) यह योजना किस प्रकार स्टार्टअप्स और इच्छुक उद्यमियों के लिए कौशल विकास, परामर्श, ऋण सुविधा और बाजार पहुंच को एकीकृत करने का प्रयास करती है तथा मध्य प्रदेश

और छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप्स और उद्यमियों के कौशल विकास के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है;

(घ) क्या सरकार की महाराष्ट्र के पालघर जैसे जनजातीय जिले में स्टार्टअप और उद्यमिता के लिए पीएम-सेतु योजना को बढ़ावा देने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है तथा विशेषकर बिहार के दरभंगा जिले में इसके अंतर्गत सामने आई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ) मंत्रिमंडल ने देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण की समग्र गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास और रोजगारपरकता परिवर्तन (पीएम-सेतु) योजना को मंजूरी प्रदान की है।

इस योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

i. आईटीआई और एनएसटीआई में प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना;
ii. उद्योग मानकों के अनुसार अवसंरचना और उपकरणों का आधुनिकीकरण करना;
iii. विशेष रूप से नए और उभरते क्षेत्रों में, उद्योग-अनुरूप दीर्घकालिक और अल्पकालिक पाठ्यक्रम शुरू करना;
iv. माँग-आधारित कौशल विकास और बेहतर रोज़गार अवसरों के लिए उद्योग संपर्क को सुदृढ़ करना; और
v. प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) की क्षमता को बढ़ाना।

इस योजना के दो घटक हैं:

i. घटक I - हब एवं स्पोक मॉडल के अंतर्गत 1,000 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (200 हब आईटीआई एवं 800 स्पोक आईटीआई) का उन्नयन जिसमें उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप स्मार्ट कक्षाओं, आधुनिक प्रयोगशालाओं, डिजिटल सामग्री तथा नए पाठ्यक्रमों की व्यवस्था शामिल है।

ii. घटक II - भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना स्थित पाँच राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) की क्षमता वृद्धि करना, जिसमें वैश्विक भागीदारी के साथ प्रशिक्षकों के उन्नत प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौशल विकास हेतु सेक्टर-विशिष्ट राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना शामिल है।

पीएम-सेतु योजना के तहत उद्योग-संचालित शासन व्यवस्था के माध्यम से रोजगारपरकता संबंधी परिणामों में सुधार करने पर ध्यान दिया जाता है और यह योजना अप्रत्यक्ष रूप से स्व-रोज़गार और उद्यमशीलता को भी समर्थन प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत शिक्षार्थियों (जिसमें प्रारंभिक चरण के उद्यम तथा पहली बार उद्यम शुरू करने वाले उद्यमी भी सम्मिलित हैं) को उद्योग-प्रासंगिक कौशल अर्जित करने, वास्तविक कार्य परिवेश का अनुभव प्राप्त करने तथा सुदृढ़ संस्थागत प्रणालियों एवं उद्योग के साथ सशक्त सहभागिता के माध्यम से कैरियर मार्गदर्शन, प्लेसमेंट सहायता और स्वरोज़गार सहायता सुलभ कराई जाती है।

मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुसार, पीएम-सेतु के अंतर्गत आईटीआई का चयन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा उद्योग के साथ परामर्श में किया जाएगा, जिससे उभरती कौशल आवश्यकताओं एवं स्थानीय औद्योगिक क्षमता के साथ समन्वय सुनिश्चित हो सके। तदनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उद्योग भागीदारों के सहयोग से उन्नयन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना आवश्यक है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा एक शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता सचिव, एमएसडीई द्वारा की जाती है। यह समिति योजना के लिए समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने, व्यापक नीतिगत दिशा-निर्देश तय करने, परिचालन दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने, अनुवीक्षण करने तथा आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी है। कुल 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने-अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर राज्य संचालन समिति (एसएससी) का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव द्वारा की जाती है। यह समिति योजना के कार्यान्वयन को मार्गदर्शन प्रदान करने एवं उसकी निगरानी हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करती है।

पीएम-सेतु मुख्यतः एक व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण उन्नयन योजना है, जिसका उद्देश्य उद्योग-संचालित शासन व्यवस्था, आधुनिक अवसंरचना तथा प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं परिणामों में सुधार करके आईटीआई और एनएसटीआई इको सिस्टम को सुदृढ़ करना है। यह योजना किसी प्रतिबद्ध स्टार्टअप कार्यक्रम के रूप में स्टार्टअप/प्रारंभिक चरण के उद्यमों हेतु प्रत्यक्ष सहायता प्रदान नहीं करती है।

महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त विवरण के अनुसार, प्रायोगिक चरण के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में पुणे, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर जिलों में तीन (03) क्लस्टरों की पहचान की गई है। पालघर जिले से प्रायोगिक चरण के दौरान किसी भी आईटीआई/क्लस्टर का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

बिहार सरकार से प्राप्त विवरण के अनुसार, प्रायोगिक चरण के लिए पटना और दरभंगा जिलों में दो (02) क्लस्टरों की पहचान की गई है। उद्योग की अभिरुचि आमंत्रित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुरोध प्रस्ताव (आरएफ़पी) जारी किया जाना शेष है।
